न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–569/12

1. श्रीमती कमलेश पुत्री बद्रीप्रसाद, जाति ब्राहाम्ण, धर्मपत्नी श्री शम्भूदयाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी मौहल्ला भीकम सैयद, अलवर।
2. सन्तोष देवी पुत्री श्री बद्रीप्रसाद शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, धर्मपत्नी श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, निवासी कृष्णा कॉलानी, झालानी हॉस्पिटल के पास, अलवर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. बद्रीप्रसाद शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, उम्र 36 साल,
2. वेदप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद शर्मा, उम्र करीब 33 साल, जाति ब्राहाम्ण निवासीयान ग्राम मंगलेशपुर हाल निवासी बडौदामेव तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
3. ग्राम पंचायत सैंथली जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सैंथली, तहसील रामगढ, जिला अलवर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 21.11.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ के आदेश दिनांक 24.11.04 (प्रकरण संख्या **5/01/04**) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट खास सगे भाई–बहन है तथा अपीलान्ट के बुर्जगान ग्राम मंगलेशपुर, तहसील रामगढ जिला अलवर में रहते थे और वही पर उनके बुर्जगों की पैतृक आराजीयात काश्त की मौजूद है, पहले बुर्जगान काश्त करते थे और उसके बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की पिता ब्रदीप्रसाद जी काश्त करते थे तथा उनकी पिता श्री ब्रदीप्रसाद जी स्वर्गवास अर्सा करीब 23–24 साल पहले हो गया तथा उनके मरने के बाद वादग्रस्त आराजी पर पक्षकारान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादग्रस्त आराजी पर बद्रीप्रसाद के सब वारिसान का बराबर–बराबर का हक व हिस्सा है तथा अपीलान्ट्स के भाई रेस्पोडेन्ट काफी दिनों से बडौदामेव तहसील लक्ष्मणगढ़ में रहते है। उन्होने कथन किया है कि माह मई 2000 की तारीख 10.05.2000 का जब अपीलान्ट संख्या 1 ग्राम बडौदामेव अपने भाई के पास गई तो वहॉ पर ग्राम मंगलेशपुर के कुछ आदमी बैठे हुये थे उनसे अपीलान्ट् का भाई वादग्रस्त आराजी को बेचन की बातचीत कर रहे थे और उन्हाने यह भी कहा कि अपीलान्ट्स के पिता बद्रीप्रसाद की विरासत का नामान्तरकरण केवल दोनों भाईयों रेस्पोडेन्ट के नाम ही हमने स्वीकार कराया है इसमें हमारी बहिनों का नाम नही लिखाया है जिस पर अपीलान्ट संख्या 1 ने अपने भाईयों से कहा कि आराजी पैतृक है, हम भी वारिस है, हमारा भी कब्जा व हिस्सा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

है, नामान्तरकरण हमारे नाम भी तो होना चाहिये था लेकिन अपीलान्ट्स के भाईयों ने यानि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट्स की गैर मौजूदगी में अपीलान्ट्स छिपाकर चुपचाप ही अपीलान्ट्स के पिता बद्रीप्रसाद शर्मा की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 124 रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो गया हालाकि उस समय अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट नाबालिक ही थे तथा अपीलान्ट्स को इसका ज्ञान नही था।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि स्व0 बद्रीप्रसाद मृतक की विरासत की आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट का समान भाग है यानि जिसके अपीलान्ट्स खातेदार काश्तकार है और अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट चारों भाई–बहनों के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर नही किया और चूँकि उस समय अपीलान्ट्स नाबालिंग थी इसलिये उस समय अपीलान्ट्स को उक्त बात की जानकारी का ज्ञान नही हो सका। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत ने दिनांक 25.11.1978 को नामान्तरकरण स्वीकार किया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.05.2000 की हुई जबकि अपीलान्ट संख्या 1 बडौदामेव अपने भाईयों के पास गयी और उस समय वो पैतृक जमीन को बैचने की बातचीत लोगों से कर रहे थे और उसी समय उन्होने अपीलान्ट को बताया कि नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम स्वीकार हुआ है इसिलये वे वादग्रस्त आराजी के बेचेंगे, इस पर दिनांक 12.05.2000 को अपीलान्ट ने तहसील रामगढ में नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन वहॉ पर तहसील कार्यालय के कर्मचारियों ने अपीलान्ट को बताया कि उक्त नकल अलवर रिकार्ड रूम में मिलेगी इसलिये अलवर जावें, इस पर दिनांक 21.05.2000 को अपीलान्ट्स अलवर आये एवं उसी दिन नकल का प्रार्थना पेश किया जो नकल दिनांक 23.05.2000 को प्राप्त हुई और उसके बाद वकील साहब से अपील दायर करने के लिये सलाह मुश्वरा करते रहे और अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी तथा उक्त विलम्ब को माफ करने के लिये अपीलान्ट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष पेश किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट का अकेले का विवादित आराजी में पूर्ण रूप से कोई हक नही है क्योंकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों पक्ष ही वादग्रस्त आराजी के खातेदार बद्रीप्रसाद शर्मा के वारिसान है, इसलिये वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट्स का भी हक व हिस्सा निहित है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बिना जॉच किये ही खातेदार बद्रीप्रसाद शर्मा की विरासत का वादग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार किया है जो काबिले खारिज है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि कानूनी रूप से विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय पुत्रीयों का भी बहिस्सा बराबर हक, अधिकार

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

होता है लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाकर और ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट्स को बिना तलब किये ही वादग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार किया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ द्वारा मियाद के बिन्दू पर बेजा गलती कर अपीलान्ट्स की अपील को खारिज किया है जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनेकों निर्णयों में स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट्स को मेरिट पर सुना जाना चाहिये था और मेरिट के आधार पर ही निर्णय दिया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2004 पारित किया गया है, जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है तथा अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2004 विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2004 को एवं ग्राम पंचायत सैंथली पंचायत समिति रामगढ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 124 वाके ग्राम मंगलेशपुर पर पारित आदेश दिनांक 25.11.1978 को निरस्त फरमाया जावे एवं खातेदार बद्रीप्रसाद शर्मा की की विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम भी बहिस्सा बराबर--बराबर दर्ज फरमाये जाने की आज्ञा फरमाई जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण वर्ष 1978 का है उस समय अपीलान्ट नाबालिंग थी तथा अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट की माताजी जीवित थी एवं वादग्रस्त नामान्तरकरण अपीलान्ट एवं उभयपक्ष की माताजी की सहमति से ही ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी में से 7 बीघा जमीन का बैचान कर वर्ष 1981 अपीलान्ट्स की शादी के खर्चे हेतु किया गया था, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को वादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है लेकिन वर्तमान में जमीनों के किमतें बढ़ने से एवं अपीलान्ट्स अन्य लोगों के बहकावे में आकर व रेस्पोडेन्ट को अनावश्यक ही परेशान करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 24 वर्ष पश्चात् विधि विरूद्ध तौर पर अपील पेश की गई थी, जो खारिज योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट्स द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 124 वाके ग्राम मंगलेशपुर पर ग्राम पंचायत सैंथली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.1978 के विरूद्ध लगभग 24 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ के समक्ष दिनांक 01.01.2004 को असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त असाधारण विलम्ब को कण्डोन करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कोई

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ठोस तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है जिससे उक्त असाधारण विलम्ब को कण्डोन किया जा सके तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही के समय अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नाबालिंग थे तथा उभयपक्ष की माताजी की सहमति से ही रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट्स को प्रारम्भ ही रही है तथा अपीलान्ट्स की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट तौर पर असाधारण मियाद बाहर होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2004 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2004 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।